क्रम-संख्या—82

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 29 मार्च, 2005

चैत्र 8, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 487/सात-वि-1—1(क)-14-2005

लखनऊ, 29 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 पर दिनांक 28 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में तैनात ज्येष्ठ अधिकारियों को उपयुक्त वास-स्थान प्रदान करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—यह विधेयक उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2—इस विधेयक में,– परिभाषायें

"ज्येष्ठ अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद् अथवा कृषि उत्पादन आयुक्त का पद धारण करता है।

आवास

3—राज्य सरकार के सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ स्थित आवास संख्या 2, 3 एवं 4 क्रमशः मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद् और कृषि उत्पादन आयुक्त के लिये पदाभिहित शासकीय आवास होंगे, जिसे वे अपने पद धारण की अवधि में अनुमन्य किराये पर प्रयोग करेंगे और अपने उत्तराधिकारी को उसका कब्जा सौपेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के कतिपय ज्येष्ठ अधिकारियों अर्थात् मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद् और कृषि उत्पादन आयुक्त के कर्तव्य और दायित्व विशिष्ट प्रकृति के हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों का यथोचित निर्वहन कर सकने के लिये समर्थ करने हेतु यह आवश्यक है कि उनके पक्ष में लखनऊ में ऐसे बंगले पदाभिहित कर दिये जायें जो उनके आवास के साथ-साथ शासकीय कार्यों के निस्तारण हेतु कार्यालय के उपयोग के लिये उपयुक्त हों। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ स्थित आवास संख्या 2, 3 और 4 को पद धारण की अवधि पर्यन्त अनुमन्य किराये पर उपयोग करने के लिये क्रमशः मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद् और कृषि उत्पादन आयुक्त के लिये पदाभिहित करने की व्यवस्था करने हेतु एक विधि बनाई जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 487/VII-V-1—1(Ka)-14-2005
Dated Lucknow, March 29, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jyestha Adhikari Avas Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 28, 2005.

THE UTTAR PRADESH SENIOR OFFICERS' RESIDENCES ACT, 2005

(U.P. ACT NO. 14 OF 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for giving proper accommodation to the Senior Officers of the State of Uttar Pradesh posted at Lucknow.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Senior Officers Residences Act, 2005.

Definitions

2. In this Act,—

"Senior Officer" means an officer who holds the office of Chief Secretary, Chairman Board of Revenue or Agriculture Production Commissioner.

3. The residence number 2, 3 and 4 situated at Vikramaditya Marg, Lucknow under the control and management of Estate Department of the State Government, shall be designated official residences of the Chief Secretary, the Chairman Board of Revenue and the Agriculture Production Commissioner respectively at admissible rent to the use throughout the term of their office and shall handover the possession to their successor. Residences

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The duties and responsibilities of certain Senior Officers' of the State Government namely the Chief Secretary, the Chairman Board of Revenue and the Agriculture Production Commissioner, are of specialised nature. In order to enable them to discharge their duties properly, it is necessary to designate for them at Lucknow such Banglows as are fit to be used as residences as well as the offices for discharging their official duties. It has, therefore, been decided to make a law to provide for designating residences no. 2, 3 and 4 situated at Vikramaditya Marg, Lucknow under the control and management of the Estate Department as the official residences of the Chief Secretary, the Chairman Board of Revenue and the Agriculture Production Commissioner respectively at the admissible rent to the use throughout the term of their office.

The Uttar Pradesh Senior Officers' Residences Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,

D.V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 981 राजपत्र(हि०)—(2484)—2005—597 प्रतियाँ—(कम्पयूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 307 सा० विधा०—(2449)—2005—850 प्रतियाँ—(कम्पयूटर/आफसेट)।